न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/05/2023	2023/349	26.07.2023	20.08.2025

1. रामदयाल पुत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।
2. इन्दर पुत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।
3. सरवण पुत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।
4. रामकिशन पुत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।
5. जुगलकिशोर पुत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।
6. हरिकिशन पुत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।
7. रघुवीर पुत्र अचपल पौत्र स्व. श्री भैरू जाति यादव निवासी ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर।

——प्रार्थीगण

बनाम

5. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर।
6. अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलवर।
8. तहसीलदार अलवर तहसील परिसर अलवर।

——अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन अधिनियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 वाके ग्राम तूलेड़ा तहसील व ज़िला अलवर।

उपस्थितः–
3. श्री रूडमल सोनी – अधिवक्ता प्रार्थीगण
4. श्री दीपक मीणा, पैरोकार सरकार – राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पक्ष में ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 2926 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट रजि0 नोटिस तलब किया गया।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2926 रकबा 57 ऐयर किस्म चाही सोयम सिवायचक लगानी वाके ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 1268 मिन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा था जिस खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर 2926 रकबा 57 ऐयर व 2927 रकबा 28 ऐयर हैं। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता भैरू, भजनी, नंदलाल, हरली, व रेवड़ के कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण के बुजुर्गान व प्रार्थीगण का कब्जा बिस्वेदारी उन्मोदन अधिनियम लागू होने के पूर्व से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता जब तक जिंदा रहे उक्त आराजी पर काश्त करते रहे हैं तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अलवर ने उक्त आराजी को आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन (अ.स.छा.) 2021/2542 दिनांक 16.11.2021 द्वारा गलत रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अल्प संख्यक कॉमन सर्विस सेन्टर तूलेड़ा पंचायत समिति उमरैण, जिला अलवर को आवंटित कर दी। जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण का नाम खसरा परिवर्तनशील जमा निर्धारण सम्वत 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2063, 2077 में अंकित

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

है। प्रार्थीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही उक्त आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं तथा पेनल्टी राशि भी जमा कराते आ रहे हैं। इस प्रकार से उक्त आराजी पर निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अलवर ने मौके की कोई जांच कराये बिना विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 को गलत रूप से आवंटित की है। उक्त आराजी पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा है तथा प्रार्थीगण ने मौके पर गेंहू व सरसों की काश्त बोई हुई है। किसी भी आराजी को बिना कब्जा लिये आवंटित नहीं किया जा सकता है।

पूर्व मे भी विवादित आराजी मुसम्मात जे.एफ. बेन्जामिन पत्नी ए.एफ. बेन्जामिन, श्रीमती बादामी पत्नी मानसिंह व पलटू पुत्र गंगाराम चमार को भू–आवंटन सलाहकार समिति अलवर द्वारा दिनांक 25.06.1975 को आवंटित कर दिया था। मिन प्रार्थीगण के बुजुर्गान ने इस बारे मे धारा 14 (4) राजस्थान एग्रीकल्चर लैण्ड अलोटमेंट रूल्स 1970 के बारे मे प्रार्थना पत्र संख्या 15/714 दिनांक 30.11.1976 व प्रार्थना पत्र संख्या 15/203 दिनांक 08.08.1976 को पेश किये थे जो दोनों प्रार्थना पत्र दिनांक 21.5.1979 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया गया था। जब एक बार आवंटन निरस्त हो गया था तो श्रीमान उपखंड अधिकारी को पुनः विवादित आराजी को आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बुजुर्गान ने विवादित आराजी को रेगुलाईज करने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किये हैं। जिनका कोई निर्णय नहीं हुआ है। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश अलवर के आदेश दिनांक 21.05.1979 के मुताबिक भी यदि आराजी रेगुलाईज किये जाने योग्य हो तो प्रार्थीगण के हक मे रेगुलाईज कर देनी चाहिये। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने मामले का सही प्रकार से अवलोकन किये बिना आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण व उनके बुजुर्गान का विवादित आराजी पर कब्जा 30 वर्ष से अधिक अवधि से चला आ रहा है। जिससे मिन प्रार्थीगण कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्त के आधार पर भी विवादित आराजी के खातेदार हो जाते हैं। इतना पुराना कब्जा होते हुऐ भी श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय अलवर ने कब्जे की कोई जांच किये बिना विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को आवंटित की है। प्रार्थीगण के पास अपने परिवार के पालन पोषण के लिये और कोई आराजी नहीं है। यदि विवादित आराजी का आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो मिन प्रार्थीगण व उनके परिवारजन के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अप्रार्थीगण विवादित आवंटन आदेश के आधार पर मिन प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं जबकि मौके पर प्रार्थीगण की फसल खड़ी हुई है तथा राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज करने पर उतारू हैं जिससे अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण को जबरन बेदखल ना करें तथा विवादित आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकोर्ड मे इन्द्राजात नहीं करें तथा विवादित आवंटन आदेश के आधार पर लीजडीड का निष्पादन कर पंजीबद्ध ना करावें तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। उक्त आवंटन पत्र के आधार पर अभी कागजात माल मे कोई इन्द्राज नहीं हुआ है तथा ना ही प्रार्थीगण से अभी तक कोई कब्जा लिया गया है। विवादित आवंटन आदेश की आड़ मे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से विवादित आराजी का कब्जा लेने पर उतारू हैं।

श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय अलवर ने विवादित आराजी को आवंटित करने से पूर्व ग्राम पंचायत से भी कोई रिपोर्ट नहीं ली है। बल्कि केवल मात्र पर्यावरण विभाग व नगर विकास न्यास अलवर से अनापत्ति ली है। जबकि ग्राम पंचायत व राजस्व रिकोर्ड का भी आवंटन से पूर्व निरीक्षण करना चाहिये था। सम्बन्धित तहसीलदार की भी रिपोर्ट लेनी चाहिये थी। जिससे आवंटन पत्र दिनांक 16.11.2021 इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन पत्र आदेश क्रमांक 2542 दिनांक 16.11.2021 को निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 2926 वाके ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर से जबरन बेदखल ना करें। राजस्व रिकोर्ड मे विवादित आवंटन आदेश के आधार पर कोई इन्द्राजात ना करें तथा कोई लीजडीड निष्पादित कर पंजीबद्ध ना करावें। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने लिखित जवाब प्रार्थना पत्र पेश है कर कथन किया है कि प्रार्थी उज्रदार द्वारा जो उज्रदारी पेश की गई है वह गलत तथ्यो के आधार पर व गैरकानूनी रूप से पेश की गई है जिसकी सफलता की प्रार्थी को कोई आशा नही रखनी चाहिए। प्रार्थी ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आराजी हाल खसरा नम्बर 2926 रकबा 57 ऐयर को सिवायचक लगानी गलत अंकित किया है। आराजी सिवायचक लगानी नही है बल्कि आराजी की किस्म चाही सोयम है। आगे इस जिमन में हाल खसरा नम्बर 2926 के साबिक खसरा नम्बर 1268 मिन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा अंकित किए है जो तथ्य सही है और साबिक खसरा नंबर 1268 मिन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से हाल नये खसरा नम्बर 2926 रकबा 57 ऐयर व 2927 रकबा 28 ऐयर कायम हुए है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण के बुर्जुग व प्रार्थीगण का कब्जा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व से विवादित आराजी पर चला आ रहा है। ना ही कानूनन विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज रहने के अधिकारी है क्योंकि कानूनन ऐसी भूमि पर भूमि के खातेदार या गैर खातेदार काश्तकार ही काबिज रहने के अधिकारी है। गैरकानूनी रूप से अगर किसी व्यक्ति का कब्जा हो तो ऐसे लोग अतिक्रमी की श्रेणी में आते है जिनका कानूनन कोई कब्जा नहीं माना जा सकता।

अप्रार्थी सं० 1 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 16.11.2021 पूर्णतः कानूनी आदेश है जो आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर ने विधिक प्रावधानों के अनुसार जारी किए है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 आदेश दिनांक 16.11.2021 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी का इन्तकाल अपने नाम पर चढ़वा चुके है और हाल जमाबंदी में विवादित आराजी अप्रार्थी सं० 2 व 3 के नाम पर दर्ज है। ताईद में हाल जमाबंदी जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र बगैर किसी कानूनी अधिकार के गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाए जाने योग्य है ।

प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के बुर्जुगान को विवादित आराजी का कभी आवंटन या विनियमन नही हुआ। इसलिए प्रार्थीगण के नाम पर या प्रार्थीगण के बुर्जुगान के नाम पर विवादित आराजी कभी बतौर खातेदार या गैरखातेदार के अंकित नहीं रही है और राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी कभी भी प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के बुर्जुगान के नाम पर नहीं रही। खसरा परिवर्तनशील में नाम होने से कोई व्यक्ति उस आराजी का 'ना तो मालिक बनता है ना ही खसरा परिवर्तनशील के आधार पर किसी अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है, बल्कि साबित है कि प्रार्थीगण सरकारी भूमियो पर अतिक्रमण करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने भी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी नाजायज रूप से कब्जा किया था और अतिक्रमी होने की वजह से उन्हें बार–बार सरकार द्वारा मौके से बेदखल कर पेनल्टी वसूल की जाती रही है और कानूनन किसी भी अतिक्रमी को अतिक्रमण की गई भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि अतिक्रमी के अतिक्रमण की गई भूमि कानूनन खाली मानी जाती है जिसे विधि अनुसार सही आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, अलवर ने पूर्ण रूप से मौके की व रिकॉर्ड की जांच कराकर आराजी का आवंटन अप्रार्थी सं0 2 को कानूनी रूप से किया गया है और आवंटन के बाद आराजी अप्रार्थी सं0 2 व 3 के कब्जे में है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। ना तो राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है और ना ही प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई कानूनी कब्जा है। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा होना गलत अंकित कराया है।

विवादित आराजी का पूर्व में कुछ लोगो को आवंटन किया गया था तब जो आवंटन आदेश गैरकानूनी होने के कारण निरस्त कर दिया गया था परन्तु पूर्व आवंटन जब दिनांक 21.05.1979 को निरस्त किया गया उस आदेश में प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के बुर्जुगान का विवादित आराजी पर कोई कानूनी अधिकार नहीं माना जाता। आदेश दिनांक 21.05.1979 से प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। साथ ही यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि दिनांक 21.05.1979 के बाद प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के बुर्जुगान ने आराजी की खातेदारी अपने नाम पर प्राप्त करने हेतु कोई राजस्व वाद पेश नहीं किया और विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने हेतु अन्य कोई प्रयास भी नहीं किया। उपखण्ड अधिकारी, अलवर को विवादित आराजी को आवंटित करने का पूरा अधिकार है और उपखण्ड अधिकारी, अलवर ने अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हुए दिनांक 16.11.2021 को उक्त विवादित आराजी का आवंटन किया है, जो एक कानूनी आवंटन है।

प्रार्थीगण या प्रार्थीगण के बुर्जुगान द्वारा विवादित आराजी को अपने नाम पर रेग्यूलाईज कराए जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही प्रार्थीगण को विवादित आराजी का रेग्यूलाईजेशन अपने नाम पर कराने का कोई अधिकार प्राप्त है। उपखण्ड अधिकारी,

अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अलवर ने जो आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 को पारित किया है वो पूर्ण रूप से कानूनी आदेश है जिसे निरस्त कराने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही उनका कोई वैद्य कब्जा है। साथ ही कब्जा मुखालफाना के आधार पर कृषि भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है । उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर ने कब्जे की पूर्ण रूप से जांच कर अप्रार्थी सं० 2 व 3 को विवादित भूमि का आवंटन किया है। विवादित भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। ना तो राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है और ना ही प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा है और जब प्रार्थीगण गैरकाबिज है तब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने के तथ्य बेबुनियाद है। हम अप्रार्थीगण विवादित भूमि के मालिक काबिज है और राजस्व रिकॉर्ड में आराजी हमारे नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण गैरवास्ता व गैरकाबिज व्यक्ति है।

प्रार्थीगण का यह अंकित करना कि उक्त आवंटन पत्र के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम पर कागजात माल में कोई इन्द्राज नहीं हुआ है, कतई गलत है बल्कि, आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 व पट्टा विलेख दिनांक 28.12.2021 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में हम अप्रार्थीगण के नाम का इन्द्राज हो चुका है। ताईद में हाल जमाबंदी वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर पेश है। साथ ही विवादित आराजी पर हम अप्रार्थीगण बतौर अलोटी खातेदार काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी, अलवर ने आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 जारी करने से पूर्व विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जांच की थी एवं समस्त संबंधित विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 जारी किया था। ग्राम पंचायत से एनओसी केवल चारागाह भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ली जाती है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत से एन ओ सी लेना आवश्यक नहीं था। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार या गैरखातेदार नहीं है ना ही उनका कब्जा है जबकि विवादित आराजी हम अप्रार्थीगण के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और अप्रार्थीगण का आराजी पर कब्जा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या केस है ना ही सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तहत प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाए जाने योग्य है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

विवादित आराजी के बारे में एक दीवानी वाद बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है जिसका बअनुवान ग्राम पंचायत तूलेडा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा है जिस दावे में ग्राम पंचायत तूलेडा के सरपंच ने यह तथ्य अंकित कराया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2927 रकबा 0.28 हैक्टेयर व 2926 रकबा 0.57 हैक्टेयर चाही सोयम वाके ग्राम तूलेडा की मालिक ग्राम पंचायत तूलेडा है और दावे में यह भी अंकित किया है कि इस आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में किये गए आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु जिन लोगो ने उज्रदारी पेश की थी, उन समस्त ग्रामवासियान ने उक्त दोनों खसरा नम्बरान को ग्राम पंचायत तूलेडा को सौंप दिया है और ग्राम पंचायत तूलेडा मौके पर काबिज है। जिससे यह बात साबित है कि उज्रदारान का इस आराजी से अब कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही उनका कब्जा है। इस बिना पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उज्रदारी निरस्त किए जाने योग्य है जिसे निरस्त फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड एवं कानूनी प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 (क्रमांक राजस्व/आवंटन (अ.स.छा.) 2021/2542) को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश द्वारा ग्राम तूलेड़ा तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा नंबर 2926 रकबा 0.57 हैक्टेयर (किस्म चाही सोयम सिवायचक लगानी) को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 (अल्पसंख्यक विभाग एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के पक्ष में अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, तूलेडा पंचायत समिति उमरैण के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु आवंटित किया गया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 2926 रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम है। राजस्व

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि यह भूमि सरकारी स्वामित्व की है एवं प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों को कभी खातेदारी या गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थीगण के नाम खसरा गिरदावरी (परिवर्तनशील) में सम्वत 2049 से 2077 तक अंकित होने का हवाला दिया गया है, किंतु गिरदावरी मात्र काश्तकारी का प्रमाण है, न कि स्वामित्व का। राजस्थान टेनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 15 एवं 19 के अनुसार, गिरदावरी से खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते, विशेषकर जब भूमि सरकारी हो एवं कब्जा अतिक्रमण का हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी से प्रमाणित है कि आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 एवं पट्टा विलेख दिनांक 28.12.2021 के आधार पर उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 (अल्पसंख्यक विभाग एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के पक्ष में अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक बालक-छात्रावास, तूलेडा पंचायत समिति उमरैण के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के नाम दर्ज हो चुकी है।

प्रार्थीगण का मुखालफाना (adverse possession) का दावा किया है, किंतु कृषि भूमि पर adverse possession का दावा राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 46 द्वारा प्रतिबंधित है जब तक खातेदारी सिद्ध न हो। प्रार्थीगण का वर्तमान में कब्जे का दावा असिद्ध है, क्योंकि अप्रार्थीगण ने कब्जा ले लिया है एवं रिकॉर्ड अपडेट है। प्रार्थीगण ने पूर्व आवंटन दिनांक 25.06.1975 (जे.एफ. बेंजामिन आदि को) का हवाला दिया, जो दिनांक 21.05.1979 को अतिरिक्त जिलाधीश अलवर द्वारा निरस्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि इससे उन्हें रेगुलराइजेशन का अधिकार मिलता है एवं पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता। किंतु उक्त निरस्तीकरण प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं देता, क्योंकि आदेश में प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों को खातेदार नहीं माना गया। राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अनुसार, निरस्त आवंटन पुनः आवंटन को प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रार्थीगण ने 1979 के बाद रेगुलराइजेशन हेतु कोई राजस्व वाद दायर नहीं किया, जो उनके दावे की कमजोरी दर्शाता है।

प्रार्थीगण ने दावा किया कि उपखण्ड अधिकारी ने बिना जांच, ग्राम पंचायत रिपोर्ट या तहसीलदार रिपोर्ट के आवंटन किया। राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार, आवंटन हेतु जांच आवश्यक है, जो यहां पूरी हुई। ग्राम पंचायत की एनओसी केवल चारागाह भूमि हेतु आवश्यक है (नियम 9), जबकि यहां भूमि चाही सोयम है। आवंटन अल्पसंख्यक कल्याण हेतु है, जो सार्वजनिक हित में है एवं राजस्थान सरकार की नीति अनुसार वैध है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार प्रतीत होता है एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 सारहीन व निराधार होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 16.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)